



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

संख्या:सीबीएसई/समन्वय /PRAC-REMINDER/2024/

दिनांक: 31.12.2024

Reminder-1

सेवा मे

सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के
प्रधानाचार्य/संस्थानों के प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: कक्षाX और XII-2024-25 के लिए व्यावहारिक परीक्षाओं / परियोजना / आंतरिक मूल्यांकन कक्षाओं का संचालन

महोदया/महोदय,

यह परिपत्र संख्या सीबीएसई/सीओओआरडी/मेन प्रैक्टिकल/2024-25ई-फाइल 163685 दिनांक 02.12.2024 के क्रम में है जिसके तहत यह सूचित किया गया था कि सत्र 2024-25 के लिए कक्षा Xवीं/XIIवीं के लिए वार्षिक व्यावहारिक परीक्षा/आंतरिक मूल्यांकन परियोजना 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। प्रायोगिक परीक्षाओं/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन के समय पर संचालन के लिए सभी विद्यालयोंद्वारा निम्नलिखित आवश्यक कार्रवाइयों किए जाने आवश्यकता है।

1. कृपया सुनिश्चित करें कि व्यावहारिक परीक्षाओं के संचालन के लिए निर्धारित तिथि से पहले टीटी1ई विद्यालयोंमें पर्याप्त संख्या में व्यावहारिक उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हो गई हैं। किसी भी समस्या के मामले में, कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
2. विद्यालयों को माता-पिता और छात्रों को प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन के कार्यक्रम के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि उन्हें सीबीएसई द्वारा जारी निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के बारे में जागरूक किया जा सके।
3. सुनिश्चित करें कि व्यावहारिक परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रयोगशालाओं में बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षण जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। जांचें कि छात्रों के लिए अपने प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएं या सुविधाएं पर्याप्त रूप से स्थापित की गई हैं।
4. इसके सुचारु संचालन के लिए समय पर व्यावहारिक/आंतरिक मूल्यांकन के लिए सीबीएसई द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से संपर्क करें।
5. प्रैक्टिकल परीक्षा/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन आयोजित करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए आवश्यक व्यवस्था करें ताकि वे व्यावहारिक परीक्षाओं में आराम से भाग ले सकें।
6. छात्र विद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षाओं में उपस्थित होंगे।
7. सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में अंक प्रतिदिन यानी मूल्यांकन के संचालन के दिन अपलोड किए जाएंगे।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.): 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in



8. अंक अपलोड करते समय, विद्यालय, आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सही अंक अपलोड किए गए हैं क्योंकि अंक अपलोड होने के बाद अंकों में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 9. विद्यालयों को अंक देने और अपलोड करने से पहले प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित अधिकतम अंकों की जांच करनी चाहिए। प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सही अंक अपलोड किए जाएं क्योंकि परिणाम के बाद अंकों में सुधार के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 10. प्रिंसिपल/इंटरनल एग्जामिनेटर/एक्सटर्नल एग्जामिनेटर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक छात्र को दिए गए अंक पूरी तरह से उनके प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएं।
 11. प्रैक्टिकल परीक्षा, 2025 के लिए प्रदान की गई उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षकों के लिए एक अंडरटेकिंग शामिल है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विषय में प्रैक्टिकल के लिए दिए गए अधिकतम अंकों की जांच की गई है और सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद अंक दिए गए हैं।
 12. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले किसी भी छात्र को प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/इंटरनल असेसमेंट में उपस्थित होने से छूट नहीं दी जाएगी और उनके लिए अलग से कोई प्रैक्टिकल आयोजित नहीं किया जाएगा।
 13. XIIवीं कक्षा के लिए, विद्यालय स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक परीक्षा/परियोजना मूल्यांकन के संचालन के लिए बाह्य परीक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। व्यावहारिक परीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक द्वारा आयोजित की जा सकती है।
 14. यदि यह पाया जाता है कि विद्यालय ने सीबीएसई द्वारा नियुक्त नहीं किए गए किसी अन्य बाह्य परीक्षक का उपयोग करके प्रैक्टिकल आयोजित किया है, तो इस मूल्यांकन को अमान्य माना जाएगा।
 15. यदि यह देखा गया है कि बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है तो विद्यालयों का बोर्ड के पास प्रैक्टिकल परीक्षा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
 16. विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 के बीच निर्धारित समय सीमा में ही आयोजित किया जाए। 1 फरवरी 2025 से, प्रधानाचार्यों को व्यावहारिक परीक्षाओं के संचालन और अंकों को अपलोड करने की स्थिति के संबंध में अपने उप प्रधानाचार्यों/समन्वयकों/संबंधित शिक्षकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए।
 17. यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो विद्यालय समय पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
- Xवीं और XIIवीं कक्षा 2024-25 के लिए व्यावहारिक परीक्षाओं/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाओं के साथ।

भवदीय

ह-/

(डॉ. संयम भारद्वाज
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: वेब-एडमिन से अनुरोध है कि सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें।